

पूरा खेत रखा गया है। है। प्रतिवादी संख्या 5 सुमेरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी का खेत खसरा नंबर 84 रकबा 1.0926 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। है। प्रतिवादी संख्या 6 सुरेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी का खेत खसरा नंबर 140 रकबा 5.9489 हैक्टेयर में से 0.8093 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 180 रकबा 2.3957 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 परबतसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा धानणी का खेत खसरा नंबर 89 रकबा 3.1970 हैक्टेयर यथावत रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 शादीसुदा होने तथा ससुराल में जमीन बंट में आने तथा मायरा में सोने चांदी के आभुषण एवं नगदी बंट में दिये जाने का कोई साक्ष्य सबूत पत्रावली में मौजूद नहीं होने से मामला विनिमय/भूमि हस्तान्तरण का प्रतीत होने से राजहक में नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 तथा 7 व 8 का स्टाम्प शुल्क/ड्यूटी जमा करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः मौजा धानणी के खेत खसरा नंबर 87 रकबा 8.1423 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180 रकबा 2.3957 हैक्टेयर, खसरा नंबर 483/89 रकबा 1.8616 हैक्टेयर, खसरा नंबर 140 रकबा 5.9489 हैक्टेयर, खसरा नंबर 84 रकबा 1.0926 हैक्टेयर, खसरा नंबर 89 रकबा 3.1970 हैक्टेयरकी भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य मुताबिक वादपत्र एवं जबाबदावा/ईकबालिया जबाब राजीनामा अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा धानणी के खेत खसरा नंबर 87 रकबा 8.1423 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180 रकबा 2.3957 हैक्टेयर, खसरा नंबर 483/89 रकबा 1.8616 हैक्टेयर, खसरा नंबर 140 रकबा 5.9489 हैक्टेयर, खसरा नंबर 84 रकबा 1.0926 हैक्टेयर, खसरा नंबर 89 रकबा 3.1970 हैक्टेयर में पक्षकारान् को सहखातेदार घोषित करते हुवे विवादग्रस्त भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य मुताबिक राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी चुनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी का खेत खसरा नंबर 87 रकबा 8.1423 हैक्टेयर में से 2.035575 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी फतेहसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी का खेत खसरा नंबर 87 रकबा 8.1423 हैक्टेयर में से 2.035575 हैक्टेयर उत्तरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी उम्मेदसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी का खेत खसरा नंबर 87 रकबा 8.1423 हैक्टेयर में से 2.035575 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी विक्रमसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी का खेत खसरा नंबर 87 रकबा 8.1423 हैक्टेयर में से 2.035575 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

60  
 सहायक कमिश्नर  
 (र.डी.ओ.) जाला

5. वादी संख्या 4 बोदूसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी का खेत खसरा नंबर 140 रकबा 5.9489 हैक्टेयर में से 3.2374 हैक्टेयर उत्तरी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। है।
6. वादी संख्या 5 गिरधारीसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी का खेत खसरा नंबर 140 रकबा 5.9489 हैक्टेयर में से 1.9022 हैक्टेयर उत्तरी भाग माफिक नजरीनकशानुसार व खेत खसरा नंबर 483/89 रकबा 1.8616 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है। है।
7. प्रतिवादी संख्या 5 सुमेरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी का खेत खसरा नंबर 84 रकबा 1.0926 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। है।
8. प्रतिवादी संख्या 6 सुरेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी का खेत खसरा नंबर 140 रकबा 5.9489 हैक्टेयर में से 0.8093 हैक्टेयर मध्य भाग माफिक नजरीनकशानुसार व खेत खसरा नंबर 180 रकबा 2.3957 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
9. प्रतिवादी संख्या 1 परबतसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा धानणी का खेत खसरा नंबर 89 रकबा 3.1970 हैक्टेयर यथावत रखा गया है।
10. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम कोई बंट नहीं रखा गया है जिससे मामला विनिमय/भूमि हस्तानान्तरण का प्रतीत होने से राजहक में नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 तथा 7 व 8 का स्टाम्प शुल्क/ड्यूटी जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।
11. बैंक के रहन खसरा नु के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 31/08/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनवाया गया।



(ओमप्रकाश कुमार)  
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
राजस्थान न्यायालय - (नागौर)